

अब सायरन के साथ शुरू होगी अब शहर में सफाई

**व्यापारिक क्षेत्र में सुबह और दोपहर में सुनाई देगी सायरन की आवाज
निगम आयुक्त श्री झारिया ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की बैठक में दिये
निर्देश**

रतलाम 06 फरवरी । शहर में सुबह और दोपहर के समय सफाई शुरू होती है, इसकी जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए नगर निगम रतलाम रविवार से एक नया प्रयोग शुरू करने जा रही है जिसके चलते सुबह 6.30 बजे और दोपहर 2.30 बजे सायरन की आवाज सुनाई देगी। प्रथम चरण में यह प्रयोग व्यापारिक क्षेत्रों से शुरू किया जा रहा है।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नम्बर -1 बने इस हेतु सिविक सेन्टर स्थित मिटिंग हॉल (एसबीएम सेल) में आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निर्देशित किया कि रविवार से नगर निगम का समूचा अमला शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने हेतु सौंपे कार्यों को प्रारंभ करें।

आयोजित बैठक में डॉ० हिमांशु शुक्ला व श्री सुशील द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के एमआईएस डेश बोर्ड के बारे में निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि हम स्वच्छता के क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य करके रतलाम को स्वच्छता के क्षेत्र में रतलाम को नम्बर 1 बना सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस दौरान कहा कि रतलाम को स्वच्छता के क्षेत्र में देश में नम्बर 1 बनाया जा सकता है बस इसके लिये मेहनत व लगन होना आवश्यक है साथ ही नागरिकों की सहभागिता इसमें महत्वपूर्ण है इसके लिये इस अभियान में शहर के अधिक से अधिक नागरिकों को जोड़ा जाये।

बैठक में स्वच्छता रैंकिंग में रतलाम को नम्बर 1 बनाने की जानकारी देने आए विशेषज्ञों ने निगम अधिकारी-कर्मचारी, पत्रकार और विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारी देकर रतलाम को स्वच्छ और सुंदर बनाने के तरीके सहज और सरल तरीके से समझाते हुए कहां कि स्वच्छता क्रांति में शहर के हर व्यक्ति को जोड़ा जाना चाहिए।

आयोजित बैठक में नगर निगम के स्वास्थ्य, लोक निर्माण सहित अन्य विभागों के प्रमुखों को बताया गया कि आमजन के बीच स्वच्छता मेरा संस्कार, रोको-टोकों जैसे अभियान भी लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित कर सकते हैं।

बैठक में 100 प्रतिशत डोर टू डोर कचरा संग्रहण, कचरा पृथक्कीकरण पर जोर दिया गया साथ ही नाले और नालियों में कचरा निपटान करने वाले लोगों पर स्पॉट फाईन जैसी कार्यवाही, लोगों की मानसिकता बदलने और लोगों को अपने आसपास का क्षेत्र स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए भी प्रेरित किया जाये। बैठक में यह सुझाव दिया गया कि स्वच्छता में नवाचार करते हुए शहर के व्यापारिक क्षेत्रों में सुबह और दोपहर में होने वाली सफाई के दौरान सायरन बजाकर क्षेत्र के लोगों को सूचित किया जाए। इस सुझाव पर रविवार सुबह से अमल किया जाएगा।

आयोजित बैठक में उपायुक्त नगर पालिक निगम रतलाम व परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण श्री निशीकान्त शुक्ला, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी०के० जायसवाल, प्रभारी सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, श्री एम.के. जैन,

प्रभारी जलप्रदाय श्री सत्यप्रकाश आचार्य, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, उपयंत्री सर्वश्री बी.एल. चौधरी, विकास मरकाम, मनीष तिवारी, सिद्धार्थ सोनी, ब्रजेश कुशवाह, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, श्रीमती अनिता ठाकुर, स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारी, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े के अलावा श्री वासुदेव बैरागी व पत्रकार उपस्थित थे।

नया सवेरा लाएंगे, रतलाम को स्वच्छ बनाएंगे

स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 के तहत जवाहर नगर सहित आधा दर्जन क्षेत्रों के नागरिकों ने जागरुकता कार्यक्रम में लिया स्वच्छता का संदेश

रतलाम 06 फरवरी | स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत नगर निगम रतलाम शहर के प्रमुख बाजारों, कालोनियों, सार्वजनिक स्थलों की सफाई व्यवस्था को चाँक चौबंद रखने के साथ ही अब स्लम बस्तियों को स्वच्छ बनाने में जुट गया है। यहां मूलभूत सुविधाओं को लगातार जहां एक और दुरुस्त किया जा रहा है वही इन्हीं स्वच्छता की दौड़ में भी अव्वल बनाने के प्रयास तेजी से चल रहे हैं। शनिवार को शहर के जवाहर नगर सहित आधा दर्जन क्षेत्रों के महिला पुरुष और बच्चों के बीच स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें स्वच्छता संदेश से जुड़े कार्यक्रमों और स्पर्धाओं में सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर निकले जागरुकता रैली में नारे लगाए गए कि नया सवेरा लाएंगे और रतलाम को स्वच्छ बनाएंगे।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश और उपायुक्त श्री निशिकांत शुक्ला व स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह के मार्गदर्शन और उपस्थिति में जवाहर नगर स्थित सभागृह में आयोजित स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना क्रमांक—1 की अधिकारी श्रीमती चेतना गेहलोत, वरिष्ठ पर्यवेक्षक श्रीमती प्रेरणा तोगड़े, उषा लिम्बोदिया आदि उपस्थित रहे।

इस मौके पर उपायुक्त श्री शुक्ला, स्वास्थ्य अधिकारी श्री शुक्ला के साथ ही परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षकों ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाते हुए कहां कि स्वच्छ सर्वेक्षण में हर नागरिक की हिस्सेदारी होगी तभी स्वच्छता की दौड़ में रतलाम नम्बर—1 बनेगा।

स्पर्धाओं में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया

स्वच्छ रतलाम, स्वस्थ रतलाम की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान रांगोली, विवज, मेंहदी, भाषण सहित आधा दर्जन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन स्पर्धाओं के निर्णायक डॉ. शहनाज सैय्यद, डॉ. पिंकी बोरीवाल, चेतना गेहलोत और उषा लिम्बोदिया रहे।

स्पर्धाओं के परिणामों में मेंहदी प्रतियोगिता में तनीषा धवन, मानी, अशुमंन चौहान, आशिया को पुरुस्कृत किया गया। इसी तरह रांगोली प्रतियोगिता में पीहू परमार, टिवंकल बरखा पाटीदार, रोशनी कुरेशी, संध्या तिलोदिया और सानिया कुरेशी को पुरुस्कृत किया गया। भाषण, विवज आदि स्पर्धाओं में श्रीमती प्रेमकुंवर सिसोदिया, अनिता जोशी, ब्रजकुंवर राठोर, इन्दुबाला राठोर, ममता कैथवास, बरखा घारू, दुर्गा गेहलोत, प्रेमलता सांकला, अर्चना राठोर, लक्ष्मी परमार, आरती जारवाल, कुसमलता वर्मा अनिता सोनी और अनिता सिसोदियां को पुरुस्कृत किया गया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2021 के अंतर्गत निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा लगातार शहर के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस दौरान नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही कचरा मुक्त स्थानों पर आकर्षक रांगोली और दीपदान के माध्यम से सफाई मित्र समूह के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डालें। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शनिवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया।

गंदगी करने पर 12 व्यक्तियों पर जुर्माना

रत्नाम 06 फरवरी। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते हैं ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार महू रोड बस स्टैण्ड पर गंदगी करने पर कृष्णा, वेदांश व 2 अन्य पर 100-100, प्रकाश, केवड़, निजामुद्दिन, रामदेव, नारायण राव, लोकेन्द्र, गजराज सिंह व गज्जू पर 50-10 रुपये का स्पॉट फाईन किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विनय चौहान आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा 637 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रत्नाम 06 फरवरी। रत्नाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्रि में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को

बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 06 फरवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 637 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 06 फरवरी को रत्नपुरी, अलकापुरी व 80 फीट रोड से 3 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को औराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छांद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500/- वसूल करेगा।

स्वच्छांद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

हाट रोड पर सोमवार से लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नागरिकों ने 19,46,500/- संपत्तिकर व 4,53,375/- जलकर जमा कराया

रतलाम 06 फरवरी। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये हैं जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेंगे।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/- व जलकर 6,000/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/- व जलकर 55,775/-, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/- व जलकर 49,010/-, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/- व जलकर 43,670/-, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22,000/- व जलकर 29,280/-, तिरुपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/- व जलकर 19,850/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/- व जलकर 48,220/-, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/- व जलकर 14,000/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5,47,000/- व जलकर 86,540/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/- व जलकर 3,76,905/-, डोंगरे

नगर शिविर में संपत्तिकर 1,82,500/- व जलकर 76,470/- की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 19,46,500/- संपत्तिकर व 4,53,375/- जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरों के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 46, 47 व 48 के लिये 8 फरवरी को हाट रोड माताजी का मंदिर, वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लिये 09 फरवरी को कलीमी कालोनी, वार्ड क्रमांक 18 के लिये 3 से 10 फरवरी को राजेन्द्र नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये हैं।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये हैं इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त 107 दिनों में 139 वॉल्व व 701 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 06 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 06 फरवरी तक 138 वॉल्व व 695 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

“रतलाम जलशवित्त अभियान” व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 06 फरवरी शनिवार को जवाहर नगर सी कालोनी, कस्तुरबा नगर गली नम्बर 6, मुखर्जी नगर, काटजू नगर, कल्याण नगर, सागोद पुल पर खेतलपुर टंकी भरने वाली पाईप लाईन का लीकेज दुरस्त किये जाने के साथ ही ग्लोबस कालोनी में वॉल्व की मरम्मत करवाई गई।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री ऐयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

दिव्यांगजन युडीआईडी प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज जमा करावें

रतलाम 06 फरवरी । समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण—पत्र बनवाने हेतु नगर निगम विकास शाखा स्थित पेशन शाखा में आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फोटो, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, समग्र आई.डी., निःशक्त प्रमाण—पत्र, मोबाइल नम्बर तत्काल कार्यालयीन समय में जमा करावें ।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 06 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा

पृथक—पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आरथा के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवार्ड निगम के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक—पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक—पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रत्नाम 06 फरवरी। रत्नाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आरथा के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण—2021 में रत्नाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रत्नाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्स्टाल करें। इन्स्टाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाइल नम्बर रजिस्टर करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी और उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रत्नाम 06 फरवरी। नगरीय क्षेत्र रत्नाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रत्नाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल—सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक भागों में डालकर कचरा

पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालों उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000–5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/06.02.2021/न.पा.निगम, रतलाम.